


29/07
24

पत्रावली देना। वहील उक्तपत्रा उधे। व ह्यशुकी
गरी। व ह्य पापनन करे। एवं पत्रावली का
अवकाश करे पर प्राथमिक का पर्यवेक्षण
स्वीकृत योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया
जाता है। विस्तर किर्णय पत्रक में लिखापापनन
शुद्ध किया गया। पत्रावली वही हरीका
तकनीक होकर दाखिल (फिरा है।

किर्णय लिखापापनन शुद्ध न्यायालय में
शुद्ध किया गया।


(मनीष कुमार शीखा)
R.A.S.

